

प्रेषक,
क्षेत्रपाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक मत्स्य,
उ०प्र०,लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 19 दिसम्बर,2013

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत फिश फिड मिल स्थापना योजना की गाइड लाइन्स के संशोधन के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-670 / नि०शा० / आर०के०वी०वाई० / 2013-14 दिनांक 16.12.2013 के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2770 / सत्रह- म- 2013 -6-9(191) / 2013, दिनांक 12.11.2013 द्वारा जारी गाइड लाइन्स के पृष्ठ-1 पर परियोजना का कार्यक्षेत्र तथा पृष्ठ-2 पर सारणी में टंकक त्रुटिवश चयनित मण्डल के स्थान पर चयनित जनपद टंकित हो गया है, जिसे चयनित जनपद के स्थान पर चयनित मण्डल पढा जाय।

भवदीय

क्षेत्रपाल
उप सचिव।

संख्या : 2997(1) / सत्रह-म-2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,कार्यालय महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी / सहायक निदेशक मत्स्य / अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण,उ०प्र०
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक मत्स्य,उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण)अनु०-2 वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 / नियोजन-3, कृषि अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।
8. मीडिया प्रभारी मुख्य सचिव / विशेष सचिव कार्याधिकारी(मीडिया)।

आज्ञा से

(क्षेत्रपाल)

उप सचिव।